# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–2, पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

पत्रांक–डीजी–तीन-१२(13)२०२२ दिनांकः जून २५ 2022

1. अपर पुलिस महानिदेशक,
   डायल–112, उ0प्र0 लखनऊ
2. पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ/वाराणसी/कानपुर/गौतमबुद्धनगर
3. बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   मुरादाबाद/गाजियाबाद/मेरठ/आगरा/बरेली/बिजनौर/सहारनपुर/मथुरा

उत्तर प्रदेश में अंग एवं उत्तक दान के सम्बन्ध में State Organ & Tissue Transplant Organization(SOTTO) की स्थापना की गयी है । डा0 आर0 हर्षवर्धन SOTTO-UP के नोडल अधिकारी है। महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 में कुल–43 अस्पतालों को अंग एवं उत्तक दान हेतु अधिकृत किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

2– इस सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताने के लिये दिनांक–23.04.2022 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता एवं डा0 आर0के0 धीमान, निदेशक एस0जी0 पी0जी0 आई0 एम0एस0 की उपस्थिति में एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया गया था।

3– उक्त वर्चुअल सेमिनार में कई पुलिस अधिकारियों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में एक एस0ओ0पी0 बनाया जाय जो सभी को वितरित किया जाय ।

4– उसी क्रम में एक एस0ओ0पी0 तैयार की गयी है जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक डायल–112/पुलिस आयुक्त/जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा क्या कार्यवाही अपेक्षित है स्पष्ट किया गया है।

5– इस सम्बन्ध में यू0पी0 पुलिस की ओर से SOTTO UP से समन्यव स्थापित करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक डायल–112 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

6– यह पत्र पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त आपके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु एस0ओ0पी0 की एक प्रति संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

( एन0 रविन्दरे ) 24/12/2022
अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, बरेली/मेरठ/आगरा ।
3– पुलिस महानिरीक्षक, रेन्ज, मुरादाबाद/मेरठ/आगरा/बरेली/सहारनपुर ।
4– डा0 आर0 हर्ष वर्धन, Nodal Officer, SOTTO-UP S.G.P.G.I.M.S. लखनऊ ।

# अंगदान एवं ऊतक दान ( Organ & Tissue Donation ) के संदर्भ में पुलिस/संबंधित अधिकारी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु एस0ओ0पी0

सड़क दुर्घटना के मामले में दुनिया के 199 देशों में दुर्भाग्यबश भारत पहले स्थान पर है। वर्ष 2019 में हमारे देश में 4,49,002 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 4,51,361 व्यक्ति चोटिल हुए। उ0प्र0 में पिछले 03 वर्षो में सड़क दुर्घटना से औसतन 21,000 व्य क्तियों की प्रति वर्ष मृत्यु हुई। इस अवधि में अंगदान करने वालों की संख्या पूरे देश में मात्र 130 थी जो एक सभ्य व शिक्षित समाज के लिए चिन्तनीय है जबकि 65 प्रतिशत लोग अंगदान के लिए चिकित्सीय रूप से सक्षम थे।

## विधिक पहलू:

भारत सरकार द्वारा दिनांकः 11–07–1994 को मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 (Transplantation of Human Organs Act-1994) अधिनियमित किया गया तथा वर्ष 2011 में मानव अंगों और ऊतको के दान और प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों का प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम–2011 Transplantation of Human Organs (Amendment) Act 2011 बनाते हुए दिनांकः 27–03–2014 को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली–2014 (Transplantation of Human Organs & Tissues Rules-2014- THOA Rules 2014) को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम एवं नियमावली के माध्यम से मानव अंगों और ऊतकों को जीवित और Brain Stem Death व्यक्तियों द्वारा दान करने की विधिक मान्यता प्रदान की गयी है।

अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्राविधान धारा–3 है जिसमें किसी मानव अंग को दान करने के संबंध में उसके द्वारा या उसके परिजन द्वारा या काबिज द्वारा लिखित रूप से 02 या अधिक साक्षियों की उपस्थिति में जिसमें उसका एक संबंधी भी होगा द्वारा दी जाने वाली सहमति या प्राधिकृत किये जाने का उल्लेख करते हुए आवश्यक किया गया है। 18 वर्ष के कम आयु के किसी व्यक्ति की Brain Stem Death होने पर उसके माता अथवा पिता सहमति देने के लिए सक्षम हैं।

इसी कम में यह महत्वपूर्ण है कि बिना किसी प्राधिकार के मानव अंगों को हटाने या मानव अंगों के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए दण्ड का प्राविधान (अधिनियम की धारा–18, 19) भी किया गया है।

मानव अंगों के प्रत्यारोपण के संबंध में साधारण भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि :–

(1) कोई व्यक्ति अपने अंगों का दान करने की प्रतिज्ञा THOA Rules 2014 के Form-7(Pledge for Organ Donation Form) भरकर कर सकता है।

(2) परिवारीजन **Brain Stem Death** के मामलों में अंगो के दान के लिए सहमति दे सकते हैं **(Consent Form: Form-8** THOA Rules 2014)

(3) **Brain Stem Death** का निर्धारण एवं घोषणा 04 डाक्टरों के एक पैनल द्वारा किया जाता है जो कि महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 सरकार से अधिकृत होता है ( Transplantation of Human Organs Act-1994 की धारा–3 की उपधारा–6 के अनुसार) ( **Brain Stem Death** प्रमाण पत्र–**Form 10** THOA Rules 2014)

## पुलिस की भूमिका एवं कार्य:

विदित है कि ऐसे सड़क दुर्घटना या किसी यंत्र से हुई दुर्घटना या जीव–जन्तु के हमले या अन्य हिन्सा या हमले से मृत या हत्या या आत्महत्या या अन्य प्रकार के किसी आकस्मिक

मृत्यु ( **Unnatural Death** ) के घटना स्थल पर पुलिस सबसे पहले पहुंचतीं है। इसलिए ऐसे प्रकरणों में पुलिस की भूमिका अत्यन्त संवेदनशील व महत्वपूर्ण हो जाती है।

ऐसे प्रकरणों में पुलिस द्वारा निम्न महत्वपूर्ण विन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:–

1–घायल व्यक्तियों को पुलिस द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निकटतम हास्पिटल पहुंचाना।

2– ऐसे मृत व्यक्तियों, जिनके अंगों को दान करने हेतु उनके परिजन सहमति देते है उन शवों का सीआरपीसी की धारा–174 के अंतर्गत् की जाने वाली कार्यवाही (पंचायतनामा आदि) शीघ्रता से किया जाना।

3– अंगदान के पश्चात पोस्टमार्टम टीम के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रातिशीघ्र पोस्टमार्टम करवाना, जिससे परिजनों को मृतक के शव को शीघ्र सौंपा जा सके।

4– शव से **Organ Harvesting** के तुरन्त बाद **Retrieval centre/ Harvesting place / Authorised Hospital** से **Transplant Centre** तक ग्रीन कारीडोर की व्यवस्था करना, जिससे कम से कम समय में कार्यवाही पूर्ण हो सके।

उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा वर्तमान में 43 अस्पताल Organ Harvesting के लिए अधिकृत है जिसकी सूची संलग्न है। इन सभी अस्पतालों में किसी व्यक्ति के दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में पंचायतनामा संबंधित थानो के उपनिरीक्षक द्वारा भरा जाता है। अतः ऐसे अस्पताल (जो Organ Harvesting के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है) के द्वारा यदि भविष्य में ऐसे प्रकरणों की सूचना जनपदीय कन्ट्रोल रूम/जनपदीय थाना/यूपी–112 को दी जाती है तो उस संबंध में संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त सामान्य विन्दुओं के क्रम में निम्न प्रकार से कार्यवाही अमल में लायी जायेगी:–

**1–थाने के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष :**

**क–** प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र उपनिरीक्षक को संबंधित अस्पताल में भेजकर पंचायतनामा एवं 174 द0प्र0सं0 की कार्यवाही कम से कम समय में कराना।

**ख–** **Harvesting** के उपरान्त यदि पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता हो तो शव का जिस अस्पताल में पोस्ट–मार्टम होना है वहां शीघ्र पहुंचाने में मदद करना।

**ग–** Organ Harvesting व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त शव शीघ्रातिशीघ्र परिजनों को सुपुर्दगी में देने की कार्यवाही करना।

**घ–** Organ Harvesting व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस को प्राप्त होने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य प्रपत्रों को साक्ष्य हेतु सुरक्षित रखना। ( UP मेडिकल मैनुअल के पैरा 706,A के अनुसार)

**2–पुलिस आयुक्त/जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**

**क–** उपरोक्त प्रकरणों में थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से निर्धारित कार्यो को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाना तथा आवश्यक दिशा निर्देश देना।

**ख–** शव से **Organ Harvesting** के तुरन्त बाद **Retrieval centre/ Harvesting place / Authorised Hospital** से **Transplant Centre** तक ग्रीन कारीडोर की व्यवस्था करना, जिससे कम से कम समय में कार्यवाही पूर्ण हो सके।

**ग–** Organ Donation के लिए प्राधिकृत अस्पतालों के संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उपनिरीक्षक को प्रत्येक 06 मांह में जागरूक करने हेतु संबंधित अस्पताल के नोडल अफिसर, Transplant Co-ordinator एवं जनपदीय मुख्य चिकित्सा

अधिकारियों के सहयोग से सेमिनार आयोजित कराना एवं पुलिस कर्मियों को इस बारे में संवेदनशील बनाना।

**3–UP–112**

**क**– प्रदेश में Organ Harvesting के लिए प्राधिकृत सभी अस्पतालों की सूची एवं उनके नोडल आफिसर /ट्रांसप्लान्ट को–आर्डिनेटर के मोबाइल/सम्पर्क नम्बरों की सूची अपने System में सम्मिलित करना, ताकि इन अस्पतालों को ऐसे मृत व्यक्तियों (जिनके अंगों का दान करने हेतु उनके परिजनों द्वारा
सहमति दी जाती है) के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल उसकी सूचना संबंधित थाना एवं जनपद के उच्चाधिकारियों को देना ताकि शीघ्रातिशीघ्र शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके।

**ख**– शव से **Organ Harvesting** के तुरन्त बाद **Retrieval centre/ Harvesting place / Authorised Hospital** से **Transplant Centre** तक ग्रीन कारीडोर की व्यवस्था करवाने में मदद करना, जिससे कम से कम समय में कार्यवाही पूर्ण हो सके।

24/12/2020

( एन0 रविन्दर )
अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0
उ0प्र0 लखनऊ।